जी०आर-2175/95

18-12-18

अभियुक्तगण (1) मुनेश्वर साह (2) ब्रह्मदेव साह
(3) प्रभु साहनी (4) रघुनंदन साहनी (5) अमेला
साहनी (6) शेख वहीर मियाँ (7) मो० मंजर
(8) सुरेन्द्र साहनी (9) सुदर्शन साहनी की
ओर से आत्मसमर्पण सह जमानतआवेदन
अधिवक्ता द्वारा नवीन शपथ पत्र के साथ
न्यायालय में दाखिल किया गया, जिसकी प्रति
स० अभि० पदा० को दी गई। जमानत आवेदन
प्रस्तावित किया गया। सभी अभियुक्तों को न्यायिक
अभिरक्षा में लिया जाता है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन
है कि दिनांक 09-10-18 से वाद अभियुक्तों को आरोप
गठन हेतु निर्धारित था। परंतु अभियुक्तों की ओर से
आरोप गठन नहीं हो सका जिसके कारण न्यायालय
द्वारा दिनांक 07-12-18 को अभियुक्तों का बंधपत्र
खंडित कर गैरजमानतीय अधिपत्र निर्गत करने का
आदेश किया गया। आज अभियुक्तगण जानकारी
उपरांत स्वेच्छा से न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है।
भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा। अतः श्रीमान
से निवेदन है कि अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त
करने की कृपा की जाए।

जमानत के बिंदु पर उभयपक्षों को सुना।
अभिलेख एवं आवेदनपत्र का अवलोकन किया। अभिलेख
के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा दिनांक
09-10-18 को वाद आरोप गठन हेतु निर्धारित था। दिनांक 29-10-18
को अभियुक्तों को आरोप गठन हेतु न्यायालय द्वारा
अंतिम अवसर प्रदान किया गया था उसके बावजूद
भी अभियुक्तगण आरोप गठन हेतु न्यायालय में
उपस्थित नहीं हो सके जिसके कारण न्यायालय
द्वारा दिनांक 07-12-18 को सभी अभियुक्तों के बंधपत्र
को खंडित कर [illegible] गैर-जमानतीय अधिपत्र
निर्गत करने का आदेश दिया गया। अतः अभियुक्तगण,

लगातार